न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/192/2021	2021/470	21.10.2021	19.04.2022

1. श्री मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान गद्दी, ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर राज0 जरिये बाएतमाम महन्त हजारीदास जी महाराज, विराजमान मोलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. मामचन्द पुत्र लेखराम।
2. मूलचन्द पुत्र लालचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम ईश्वरसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।
3. शेर सिंह पुत्र श्री छाजू सिंह।
4. राजेन्द्र पुत्र श्री छाजू जाति बावरिया निवासीयान ग्राम ईश्वरसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।
5. संजय गाडन पुत्र श्री ईश्वरसिंह, जाति गाडन निवासी 20 गणेश नगर जयपुर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री निर्मल कुमार जैन —वकील प्रार्थी
02. श्री अनील कुमार प्रजापत —वकील अप्रार्थीगण

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन दावा बअनुवानी सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि मुकदमा वाद सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। उक्त वाद दिनांक 06.01.2011 से अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसको प्रार्थी सुनवाई कर निर्णित करवाना चाहता है किन्तु अप्रार्थीगण उक्त मुकदमें को लम्बा चलाना चाहते है। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर सीताराम जी महाराज की आराजी है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। मूर्ति मन्दिर सीताराम जी महाराज शास्वत अव्यस्क है जिसकी सम्मपत्ति की रक्षा महंत श्री हजारीदास कर रहें है। उक्त मुकदमें में प्रार्थना पत्र धारा 212(2) आर.टी.एक्ट बाबत कायमी रिसीवर भी विचाराधीन है। जिसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी के विरूद्व मुतंकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 28.07.2015 को खारिज हो गया था। उसके विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील दायर की गई जो दिनांक 17.12.2015 को खारिज हो गई थी। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जों दिनांक 29.06.2016 इस निर्देश के साथ खारिज की गई की मुकदमें का निस्तारण 2 माह में कर दिया जायेगा। 2 माह में मुकदमें का निस्तारण की कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी पुनः राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पुनः श्रीमान् ने 2 माह में वाद को निस्तारण करने के आदेश दिये। उक्त के बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई तो प्रार्थी द्वारा पुनः अतिरिक्त कलक्टर प्रथम, अलवर के यहां मुतंकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2018 को इस निर्देश के साथ खारिज किया गया कि मुकदमें का निस्तारण 1 माह में किया जावें। दिनांक 28.06.2018 से मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ समय पूर्व नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण किया गया

जिला कलक्टर अलवर

उनके समक्ष भी प्रार्थी ने उपरोक्त तथ्य निवेदन किये उसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा लम्बी तारीखें दी गई है। दिनांक 05.10.2021 को प्रार्थी व उसके वकील द्वारा पीठासीन अधिकारी को उक्त निर्णयों के बारे में अवगत कराया तो पीठासीन अधिकारी नाराज हो गये तथा उन्होने कहा कि हमारे पास यही काम नहीं है उपर की न्यायालय तो इस तरह के निर्देश देती रहती है। हम इनसे पाबंध नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी मामचन्द को पीठासीन अधिकारी को चैम्बर से निकलते देखा गया तथा अप्रार्थी ने बाहर आकर कहा था की पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो गई है वह भी इस मुकदमे में लम्बी तारीख पेशी लगायेगें जो पीठासीन अधिकारी की बातों से साबित होता है। उक्त परिस्थिति में हमें अब पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नहीं है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी जाकिर मूर्ति मन्दिर सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द वगे0 को उपखण्ड अधिकारी नीमराना से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया की विचाराधीन पत्रावली को स्थानान्तरण करने का वकील प्रार्थी द्वारा कोई आधार नही दिया गया है। विचाराधीन प्रकरण को देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र मुंतकिल दायर किया गया है तथा युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। पीठासीन अधिकारी से हम अप्रार्थीगण का कोई लेना–देना नही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में निवेदन किया है कि प्रकरण में विधिअनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का निर्णय दिनांक 12.06.2018 को किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट की अपील से निर्णय होकर इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त होने पर दर्ज कर कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा कहे गये कथन बनावटी व मनगढंत है फिर भी विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित किये गये निर्णय में वाद का 2 माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश देने के उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का निस्तारण नहीं किया गया है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में 06.01.2011 से विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 11 वर्ष की अवद्यी बीत जाने पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली मूर्ति मन्दिर सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द को मुंतकिल किया जाना आवश्यक समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत दावा 88, 89, 183 आर.टी.एक्ट बउनवान मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बनाम मामचन्द वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सहायक कलक्टर अलवर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं सहायक कलक्टर अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)